रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253154
SG-DL-E-16032024-253154

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 475
No. 10]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945	[N. C. T. D. No. 475

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सं. 18/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद् द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड V, अध्याय 6-L में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

वर्तमान अध्याय 6-L के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

भाग L

किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत निर्मित नियम

(1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:.

(i) ये नियम ‘दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति नियम, 2024’ कहलायेंगे।

(ii) इनका विस्तार नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण अधिकारिता पर होगा।

(iii) ये नियम इनके दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(2) <u>परिभाषाएँ:</u> इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "अधिवक्ता" से अभिप्राय है ऐसा अधिवक्ता जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित विधिज्ञ परिषद् में यथावत पंजीकृत हो।

(ii) "पूर्ण न्यायालय" से अभिप्राय है उच्च न्यायालय के सभी उपस्थित न्यायाधीश।

(iii) "उच्च न्यायालय " से अभिप्राय है दिल्ली उच्च न्यायालय।

(iv) "स्थायी समिति" से अभिप्राय है इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत गठित "वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति हेतु समिति"।

(v) "महानिबंधक" से अभिप्राय है उच्च न्यायालय के महानिबंधक।

(vi) "सचिवालय" से अभिप्राय है इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थापित सचिवालय।

(3) <u>स्थायी समिति</u>:-

उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्तागण की नियुक्ति से सम्बंधित सभी मामलों पर एक स्थायी समिति – "वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति हेतु समिति" द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) माननीय मुख्य न्यायाधीश – स्थायी समिति के अध्यक्ष

(ख) उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश - सदस्यगण

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय हेतु भारत के अतिरिक्त महा सॉलिसिटर - सदस्य

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए तीन वरिष्ठ अधिवक्तागण के नामों में से उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए - सदस्य

(ङ) उपरोक्त द्वारा नामित बार का सदस्य।

स्थायी समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(4) <u>सचिवालय:</u>

(i) स्थायी समिति का एक सचिवालय होगा। सचिवालय की संरचना का निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से किया जाएगा।

(ii) सचिवालय के कार्य के सम्बन्ध में उस रीति एवं स्रोत जिससे वरिष्ठ अधिवक्तागण की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एवं सूचना एकत्रित, संगृहीत एवं प्रस्तुत की जानी है को शामिल करते हुए स्थायी समिति समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(iii) स्थायी समिति का सचिवालय प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्तागण से आवेदन आमंत्रित करके वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा।

(iv) अधिवक्तागण से आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को भी सूचना दी जाएगी।

(v) आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए कम से कम इक्कीस दिन का समय दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति चाहने वाले अधिवक्ता को इन नियमों के साथ दिए अनुलग्नक(क) और अनुलग्नक(क-1) के प्रारूप में आवेदन करना होगा।

(5) <u>पात्रता शर्तें:</u>

कोई व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह-

(i) कम से कम 10 वर्षों तक बार में अधिवक्ता के रूप में वकालत न कर चुका हो;

(ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित विधिज्ञ परिषद् में नामांकित न हो;

(iii) मुख्यतः उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत न कर रहा हो;

(iv) लोक कल्याण के मुकद्दमों में पेश न हुआ हो तथा बहस न की हो अथवा विधिक सेवा प्रदान न कर चुका हो; तथा

(v) 40 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, जब तक कि स्थायी समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी जाए।

नोट: विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष वकालत की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता रखने वाले आवेदक/अधिवक्तागण को उच्च न्यायालय में पेश होने की सीमा के संबंध में रियायत दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण: वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव के सम्बन्ध में योग्यता की शर्तें, दिल्ली के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों अथवा जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा तथा/या वकालत के अनुभव के पश्चात पद त्याग किया हो, पर लागू नहीं होंगी।

(6) **मतार्थना:** वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु किसी प्रत्याक्षी द्वारा मतार्थना उसे ऐसी नियुक्ति हेतु अयोग्य करेगी।

(7) **किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया:**

उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु या तो (क) उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरणा से अथवा (ख) अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(क) स्व प्रेरणा की प्रक्रिया:-

(i) पूर्व विहित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले किसी अधिवक्ता पर, या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश के लिखित प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु, स्व प्रेरणा से विचार किया जाएगा।

(ii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश का ऐसा लिखित प्रस्ताव महानिबंधक को भेजा जायेगा जो इसे सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित सहमति-एवं-वैयक्तिक सूचना पत्र **(इन नियमों का अनुलग्नक-क व अनुलग्नक-क-1)** प्राप्त करने के पश्चात सचिवालय को भेजेंगे।

(ख) अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्रक्रिया:-

कोई अधिवक्ता जो पूर्व विहित योग्यता शर्तों को पूरा करता हो, सचिवालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में, महानिबंधक को संबोधित लिखित आवेदन दे सकता है, जो सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित सहमति-एवं- वैयक्तिक सूचना पत्र **(इन नियमों का अनुलग्नक-क व अनुलग्नक-क-1)** प्राप्त करने के पश्चात इसे सचिवालय को भेजेंगे।

(8) **सचिवालय द्वारा डाटा का संकलन:-**

किसी अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित प्रस्ताव सहित सभी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सचिवालय:

(i) किसी विशिष्ट अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के चार सप्ताह अथवा स्थायी समिति द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य समयावधि के भीतर उनकी प्रस्तावित नियुक्ति में अन्य पणधारियों के सुझाव/मत आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगा;

(ii) निम्न के सम्बन्ध में अधिवक्ता(गण) का डाटा एवं सूचना का संग्रहण करेगा –

(क) ख्याति, आचरण एवं सत्यनिष्ठा;

(ख) लोक-कल्याण कार्यों में सह-भागिता;

(ग) निर्णयों की संख्या जिनमें सम्बंधित अधिवक्ता(गण) पेश हुआ हो; तथा

(घ) संबंधित अधिवक्ता(गण) के बारे में ऐसी अन्य जानकारी जिसका स्थायी समिति द्वारा विशिष्ट रूप से निदेश किया गया हो।

(iii) उप नियम (i) के अंतर्गत सुझाव/मत प्राप्त होने पर तथा उप नियम (ii) के अंतर्गत डाटा एवं सूचना संग्रहण के पश्चात, सचिवालय सम्बंधित अधिवक्ता(गण) का डेटाबेस तैयार करेगा तथा उसे स्थायी समिति के समक्ष रखेगा।

(9) (क) स्थायी समिति द्वारा मूल्यांकन:-

स्थायी समिति किसी अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के प्रत्येक प्रस्ताव की सचिवालय द्वारा संगृहीत किये गए डाटा के आलोक में जांच करेगी तथा सम्बंधित अधिवक्ता का साक्षात्कार भी लेगी। इसके पश्चात स्थायी समिति सम्बंधित अधिवक्ता का निम्न अंक आधारित संरूप के आधार पर अपना समग्र मूल्यांकन करेगी :-

क्र.सं.	विषय	अंक
1.	नामांकन की तिथि से आवेदक अधिवक्ता द्वारा वकालत के वर्ष [10 वर्षों की वकालत के लिए 10 अंक और वकालत के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम 20 अंक के अधीन)।	20
2.	सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा मुकद्दमे की कार्यवाही के दौरान दिए गए विधि सूत्र को दर्शाने वाले निर्णय; सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा किये गए लोक-कल्याण कार्य; विधि के विशेष क्षेत्रों में प्रक्षेत्र विशेषज्ञ। इसमें मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम पांच सारांश भी शामिल होंगे।	50
3.	पुस्तकों/पत्रिकाओं, अकादमिक लेखों का प्रकाशन, विधि के क्षेत्र में शिक्षण कार्य का अनुभव, विधि विद्यालयों और विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों में दिए गए अतिथि व्याख्यान।	5
4.	आवेदक के समग्र मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार के आधार पर पर व्यक्तित्व एवं उपयुक्तता का परीक्षण।	25

स्थायी समिति एक निश्चित समय पर नियुक्त किए जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्तागण की संख्या और आवेदकों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार की संख्या को यथासंभव उचित संख्या तक सीमित रख सकती है।

स्थायी समिति श्रेणी 3 यानी प्रकाशनों के अंतर्गत अंक आवंटित करने का तरीका भी तय कर सकती है जिसमें इनकी गुणवत्ता मापने के लिए अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण या शिक्षाविदों से बाहरी सहायता लेने की संभावना भी शामिल है।

(ख) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण या जो दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से दस वर्ष की सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं, किसी भी समय वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु समिति को अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। सचिवालय स्थायी समिति के अनुमोदन से इसे पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखेगा। अंक प्रदान करने हेतु मानदंड सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। हालाँकि, ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यदि आवेदक(गण) ने किसी पूर्णकालिक कार्यभार को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी हो या जब तक वह कार्यभार उसके पास हो।

(10) पूर्ण न्यायालय:-

(i) स्थायी समिति द्वारा समग्र मूल्यांकन के पश्चात, इसके समक्ष सूचीबद्ध सभी नामों को इनकी मूल्यांकन रिपोर्ट सहित पूर्ण न्यायालय को पेश किया जाएगा। पूर्ण न्यायालय को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान अपवाद होगा। यदि इसका सहारा लेना पड़े तो उसके कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। गुप्त मतदान की स्थिति में, पूर्ण न्यायालय के निर्णय उन न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा लिए

जाएंगे जिन्होंने अपनी प्राथमिकता/पसंद का प्रयोग करना चुना है, जहां मौजूदा न्यायाधीशों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई ने अपने मत का प्रयोग किया हो, भले ही मतदान करने वाले न्यायाधीश पूर्ण न्यायालय की बैठक में उपस्थित रहे हों या नहीं।

(iii) पूर्ण न्यायालय के अंतिम निर्णय से सभी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।

(11) मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्तागण की वरिष्ठ अधिवक्तागण के रूप में नियुक्ति:-

(i) पूर्ण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता(गण) का नाम स्वीकृत होने पर, मुख्य न्यायाधीश उस अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेंगे।

(ii) महानिबंधक इस नियुक्ति के बारे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महा सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, दिल्ली विधिज्ञ परिषद्, सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधक तथा उच्च न्यायालय के अधीन सभी प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी सूचित करेंगे।

(iii) स्थायी समिति की कार्यवाहियों का अभिलेख तथा इस बारे में पूर्ण न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख सचिवालय द्वारा सन्दर्भ हेतु रखा जाएगा।

(12) पुनरीक्षण/पुनर्विचार:-

(i) यदि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु किसी प्रस्ताव पर पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुकूलतः विचार नहीं किया जाता है तो सम्बंधित अधिवक्ता(गण) ऐसा निर्णय होने की तिथि से दो वर्ष तक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं होगा।

(ii) सम्बंधित अधिवक्ता(गण) के सम्बन्ध में पूर्ण न्यायालय के निर्णय पर इसके पश्चात उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नए प्रस्ताव के रूप में ही, पुनरीक्षण/पुनर्विचार किया जाएगा।

(13) नियुक्ति वापस लेना:-

(i) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के आचरण का दोषी होने की स्थिति में जो कि पूर्ण न्यायालय के अनुसार सम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता को उस रूप में नियुक्त रहने के योग्य होने से अनधिकृत करता है तो पूर्ण न्यायालय सम्बद्ध व्यक्ति की नियुक्ति के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा एवं उसे वापिस लेगा। पूर्ण न्यायालय ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर देगा।

(ii) वापसी की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसा कि नियम 10 के अंतर्गत दी गई है।

(iii) महानिबंधक वापसी के निर्णय को उसी प्रकार से अधिसूचित करेंगे जैसा कि नियम 11 में दिया गया है।

(14) कठिनाइयों का निवारण:-

इन नियमों की व्याख्या और/या इनके अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा। मुख्य न्यायाधीश कठिनाइयों को दूर करने के लिए या तो सामान्य स्थिति में या किसी विशेष मामले में आवश्यकता पड़ने पर निर्देश जारी कर सकते हैं।

(15) निरसन एवं व्यावृत्ति:-

उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु अधिसूचना सं. 295/नियम/डीएचसी दिनांक 13.03.2019 द्वारा बनाए और तद्पश्चात अधिसूचना सं. 679/नियम/डीएचसी दिनांक 20.08.2019 द्वारा संशोधित नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। किन्तु यह निरसन अपने आप निरसित नियमों के अंतर्गत किए गए कार्य को अमान्य नहीं करेगा।

न्यायालय के आदेशानुसार

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

<u>अनुलग्नक-क</u>

<u>वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु</u>

आवेदन-एवं-सहमति पत्र

[अधिवक्तागण के लिए]

			यहाँ पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो (मूल) चिपकायें☐
1	आवेदक/ अधिवक्ता का नाम : (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)		
2	जन्म-तिथि		दिन | माह | वर्ष
3	आवेदन आमंत्रण हेतु अधिसूचना की तिथि को आयु		____________ वर्ष
4	पूरा पता:	(i) कार्यालय - (ii) आवास -	
5	संपर्क विवरण :	(i) लैंडलाइन - (ii) मोबाइल - (iii) ईमेल -	
6	शैक्षणिक/ व्यावसायिक अर्हताएं :		
7	(i) अधिवक्ता के रूप में नामांकन का दिन, महीना एवं वर्ष (ii) नामांकन संख्या (नामांकन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) (iii) नामांकन की तिथि से अधिसूचना की तिथि तक वकालत के वर्षो की संख्या (iv) अधिसूचना की तिथि तक सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या।		दिन | माह | वर्ष ________ वर्ष
8	विधिज्ञ परिषद् जहाँ पंजीकृत हो;		
9	विधि के प्रश्नों को शामिल करते हुए उन मामलों के निर्णयों का ब्योरा जिनमें आवेदक : (i) बहस करने वाले मुख्य अधिवक्ता; और	बहस करने वाले मुख्य अधिवक्ता (केवल निर्णयों की संख्या)	सहायक अधिवक्ता (केवल निर्णयों की संख्या)

	(ii) सहायक अधिवक्ता के रूप में पेश हुआ है। नोट: आवेदक की समझ से अधिकतम दस सर्वश्रेष्ठ निर्णयों को संलग्न करें।			
10	लोक कल्याण/न्याय मित्र कार्य			
11	आंकलन हेतु पांच सारांश (सारांश की प्रतियाँ संलग्न करें)			
12	क्या आवेदक प्रथम पीढ़ी का अधिवक्ता है ?			
13	प्रकाशित लेख/पुस्तकें/पत्रिकाएं, विधि के क्षेत्र में शिक्षण कार्य का अनुभव, विधि विद्यालयों या विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों में दिए गए अतिथि व्याख्यान।	अकादमिक लेख/ पुस्तकें / पत्रिकाएँ	शिक्षण कार्य	विधि विद्यालयों या विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों में दिए गए अतिथि व्याख्यान
14	क्या आवेदक दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का सदस्य है ?			
15	न्यायालय जहाँ आवेदक वकालत कर रहा है: (कृपया न्यायालयवार अवधि इंगित करें)	सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय/ न्यायाधिकरण इत्यादि	से	तक
16	न्यायाधिकरण जहाँ आवेदक ने विषय विशेष में वकालत की हो (न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत करने वालों पर लागू)	न्यायाधिकरण	अवधि	
			से	तक
17	वकालत की प्रकृति - उदाहरण के लिए - सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कर संबंधी, श्रम संबंधी, कंपनी, सेवा, इत्यादि			
18	विधि क्षेत्र - प्रक्षेत्र विशेषज्ञता (जैसे कि, संवैधानिक क़ानून, आपराधिक क़ानून, मध्यस्थता क़ानून, कॉरपोरेट क़ानून, पारिवारिक क़ानून, मानव अधिकार, जन हित याचिका, महिलाओं से सम्बंधित क़ानून) जिसमें आवेदक ने विशिष्टता/विशेषज्ञता हासिल की है।			

19	क्या आवेदक नियुक्ति हेतु पूर्व में भी सर्वोच्च न्यायालय/किसी उच्च न्यायालय में आवेदन कर चुका है? यदि हां, तो आवेदन की वर्तमान स्थिति?			
20	क्या आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय/ किसी अन्य उच्च न्यायालय में आवेदन किया है? यदि हाँ, तो आवेदन की वर्तमान स्थिति?			
21	क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें|			
22	क्या आवेदक किसी सिविल, आपराधिक या अन्य किसी वाद में पक्षकार है ? यदि हाँ, तो कथित लिप्तता की प्रकृति।			
	(i)	क्या आवेदक को किसी भी समय :		
		(क)	गिरफ्तार किया गया है?	
		(ख)	अभियोजित किया गया है ?	
		(ग)	निरुद्ध किया गया है?	
		(घ)	बाध्य किया गया है?	
		(ङ)	विधिक न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है?	
		(च)	किसी अपराध में विधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है?	
		(छ)	किसी परीक्षा से विवर्जित किया गया है या किसी प्राधिकारी/संस्थान/ परिषद् द्वारा निष्कासित किया गया है?	
		(ज)	किसी लोक आयोग/ प्राधिकरण द्वारा विवर्जित/ अयोग्य घोषित किया गया है?	
		(झ)	न्यायालय की अवमानना हेतु दोषी ठहराया गया है?	
	(ii)	क्या आवेदन करते समय आवेदक के विरुद्ध किसी भी विधिक न्यायालय में कोई वाद लम्बित है?		

	(iii)	यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है तो आवेदन प्रस्तुत करते समय वाद/ गिरफ़्तारी/ निरोध/ जुर्माना/ दोषसिद्धि/दंडादेश/सज़ा और/ या न्यायालय/ प्राधिकरण या संस्थान आदि, में विचाराधीन वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें।	
23	क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद् या राज्य विधिज्ञ परिषद् के समक्ष आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई थी अथवा विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।		
24	सामान्य स्वास्थ्य स्थिति		
25	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी		
	घोषणा मैं ………………अधिवक्ता एतद् द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। मैं एतद् द्वारा यह सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी तथ्यगत सूचना छिपाई या दबाई नहीं गई है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई मिथ्या जानकारी या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दबाना वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मेरी नियुक्ति को अयोग्य ठहरा सकता है। दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)		
	नोट: आवेदक अनुलग्नक-क भरते समय इसके साथ संलग्न निर्देश पढ़े।		

अनुलग्नक- क-1

निर्धारित प्रारूप

बहस करने वाले मुख्य अधिवक्ता

(निर्णयों की सूची)

क्र. सं.	न्यायालय	उद्धरण / वाद संख्या	वाद शीर्षक और विषय वस्तु	निर्णय की तिथि	आवेदक द्वारा पेश किए गए विधिक नियमन

(सहायक अधिवक्ता)

(निर्णयों की सूची)

क्र. सं.	न्यायालय	उद्धरण / वाद संख्या	वाद शीर्षक और विषय वस्तु	निर्णय की तिथि	आवेदक द्वारा पेश किए गए विधिक नियमन

वादों की सूची जिनमें लोक कल्याण/न्याय मित्र के रूप में पेश हुए

क्र. सं.	न्यायालय	उद्धरण / वाद संख्या	वाद शीर्षक	निर्णय की तिथि

पाँच सारांशों का विवरण

क्र.सं.	न्यायालय	वाद संख्या	वाद शीर्षक	ब्योरा

प्रकाशित लेख/पुस्तकें/पत्रिकाएं, विधि के क्षेत्र में शिक्षण कार्य का अनुभव, विधि विद्यालयों या विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों में दिए गए अतिथि व्याख्यान।

क्र. सं.	प्रकाशित अकादमिक लेखों/पुस्तकों/पत्रिकाओं के शीर्षक	विधि विद्यालयों या विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों में शिक्षण कार्य एवं दिए गए अतिथि व्याख्यान के अनुभव का ब्योरा	विधि विद्यालयों या विधि से जुड़े पेशेवर संस्थानों का नाम	अन्य कोई प्रासंगिक ब्योरा

अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-क-1 को भरने हेतु पालन किए जाने वाले सामान्य निर्देश

1	प्रत्येक आवेदन-एवं-सहमति पत्र या अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-क-1 के रूप में चिह्नित निर्धारित प्रारूपों में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए आवेदन अंग्रेज़ी में किया जाएगा जिसे ऊपर और बाईं ओर लगभग चार सेंटीमीटर चौड़ाई के आंतरिक मार्जिन सहित सफेद कागज (ए-4 साईज) पर फ़ॉन्ट साइज़ (एरियल-14) के साथ दोनों ओर डबल स्पेस में टंकित/मुद्रित किया जाएगा।
2	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को विषय-सूची में क्रमानुसार क्रमांकित किया जाए।

3	आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ एक विषय-सूची होनी चाहिए जिसमें उनका विवरण दिया हो। (रजिस्ट्री, किसी भी स्तर पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सत्यापन हेतु समर्थित दस्तावेज की मांग कर सकती है)।
4	आवेदक का नाम उसके नामांकन प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम के अनुरूप होना चाहिए। संक्षिप्त नाम स्वीकार्य नहीं होगा।
5	आवेदन विधिवत रूप से टैग और अनुक्रमित करके पेपर बुक के रूप में पेश किया जाए न कि स्पाइरल बाइंडिंग या अन्य रूप में।
6	(i) सभी पुरस्कार/प्रमाण पत्र की प्रतियाँ सुपाठ्य और मूल की सत्य प्रतिलिपि होनी चाहिएँ। (ii) स्थानीय भाषा में दस्तावेज (यदि हो) का अंग्रेज़ी अनुवाद उसके साथ संलग्न किया जाए।
7	पेपर बुक के रूप में आवेदन का केवल एक सेट दाखिल किया जाना चाहिए।
8	आवेदन पत्र पर पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (मूल) चिपकाया जाना चाहिए। एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फोटो (जिसके पीछे आवेदक का नाम उल्लिखित हो) एक अलग लिफाफे में दिया जाए ।
9	अधिसूचना में यथा उल्लिखित आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ-साथ सर्चेबल मोड में इसकी सॉफ्ट-कॉपी अनुलग्नक-क व अनुलग्नक क-1 के साथ, स्कैन की गई फोटोग्राफ सहित ईमेल के माध्यम से जमा की जाए |
10	निर्णयों, लोक कल्याण/न्याय-मित्र, पांच सारांश, लेख/पुस्तकें/पत्रिकाएं/शिक्षण कार्य/अतिथि व्याख्यान से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रदान की जाए जो अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-क-1 के भाग हैं।

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 14th March, 2024

No. 18/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High Court Rules & Orders :-

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L :

Part L

RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2) OF THE ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE

1. **Short title, extent and commencement: -**

(i) These rules shall be called 'The High Court of Delhi Designation of Senior Advocate Rules, 2024'.

(ii) These Rules shall extend to the entire jurisdiction of the High Court of Delhi at New Delhi.

(iii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

(2) Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires:

(i) "Advocate" means an Advocate who is duly registered with the Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961.

(ii) "Full Court" means all the Judges of the High Court present

(iii) "High Court" means the High Court of Delhi

(iv) "Permanent Committee" means the "Committee for Designation of Senior Advocates" as constituted under Rule 3 of these Rules;

(v) "Registrar General" means the Registrar General of the High Court

(vi) "Secretariat" means the Secretariat established by the Chief Justice of the High Court under Rule 4 of these Rules.

(3) Permanent Committee:-

All matters relating to designation of Senior Advocates by the High Court shall be dealt with by a Permanent Committee to be known as the "Committee for Designation of Senior Advocates" comprising of the following members:-

(a) Hon'ble the Chief Justice – Chairperson of the Permanent Committee

(b) Two Senior most Judges of the High Court - Members

(c) Additional Solicitor General (High Court of Delhi) - Member

(d) To be nominated by the Administrative Committee of the High Court out of the names of three Senior Advocates given by the Government of NCT of Delhi – Member

(e) A member of the Bar nominated by the above.

The Permanent Committee shall meet at least once every calendar year.

(4) Secretariat:-

(i) The Permanent Committee shall have a Secretariat. The composition of the Secretariat will be decided by the Chief Justice in consultation with the members of the Committee.

(ii) The Permanent Committee may issue such directions from time to time as deemed necessary regarding functioning of the Secretariat, including the manner in which, and the source/s from which, the necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be collected, compiled and presented.

(iii) The Secretariat of the Permanent Committee shall initiate the process for designation of Senior Advocate at least once every year by inviting applications from Advocates for designation as Senior Advocates.

(iv) The notice inviting applications from Advocates shall be published on the official website of the High Court. In addition, intimation will also be given to the Delhi High Court Bar Association.

(v) At least twenty-one days' time shall be given to applicants to submit their applications. An Advocate seeking designation as a Senior Advocate would have to apply in the format attached to these Rules as Annexure-A and Annexure A1.

(5) Eligibility Conditions:

No person shall be eligible for being designated as Senior Advocate unless he / she –

(i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;

(ii) is enrolled with the Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;

(iii) has been mainly practicing in the High Court and the Courts Subordinate to it;

(iv) has appeared and argued cases or provided legal services pro-bono; and

(v) has attained the age of 40 years, unless the age limit is relaxed by the Permanent Committee.

Note : Applicant/advocates having domain expertise of practicing before specialized Tribunals may be given concession with regard to the extent of appearance in the High Court.

Explanation: The eligibility condition with regard to minimum standing as a practicing Advocate shall not apply to retired Judicial Officers of Delhi or those who have resigned having service and / or practice of 10 years at their credit.

(6) Canvassing: Canvassing by a nominee for designation as a Senior Advocate shall disqualify him for being so designated.

(7) Procedure for designation of an Advocate as Senior Advocate. An advocate may be considered by the High Court for being designated as Senior Advocate either (A) Suo Moto by the High Court or (B) on an application by the advocate.

(A) Procedure Suo Moto:

(i) An Advocate who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may be considered suo moto by the High Court for being designated as a Senior Advocate on the written proposal of the Chief Justice or a judge of the High Court.

(ii) Such written proposal of the Chief Justice or a judge of the High Court shall be sent to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining consent–cum–personal information sheet **(Annexure-A and Annexure-A1 to these Rules)** duly filled in and signed by the Advocate concerned.

(B) Procedure on application by an Advocate:

Any Advocate who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore may submit a written application, in pursuance to the notice inviting application by the Secretariat for being designated as Senior Advocate, addressed to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining consent-cum-personal information sheet **(Annexure-A and Annexure-A1 to these Rules)** duly filled in and signed by the Advocate concerned.

(8) Compilation of Data by the Secretariat:

On receipt of all proposals including written proposal by the Chief Justice for designation of an Advocate as Senior Advocate, the Secretariat shall:-

(i) Publish on the official website of the High Court the proposal for

designation of the particular Advocate as Senior Advocate for inviting suggestions / views of other stakeholders in his / her proposed designation within four weeks of such publication on the website of the High Court or such other period as may be prescribed by the Permanent Committee;

(ii) Collect data and information of the Advocate(s) concerned regarding his / her:-

(a) Reputation, conduct and integrity;

(b) Participation in pro-bono work;

(c) Number of judgments in which the Advocate(s) concerned appeared; and

(d) Such other information about the Advocate(s) concerned as may be specifically directed by the Permanent Committee.

(iii) On receipt of suggestions / views under sub-rule (i) and collection of data and information under sub-rule (ii), the Secretariat shall compile a database of the Advocate(s) concerned and put up the same before the Permanent Committee.

(9) (A) Assessment by the Permanent Committee:-

The Permanent Committee shall examine each proposal for designation of an Advocate as Senior Advocate in the light of the data compiled by the Secretariat and shall also interview the concerned Advocate. The Permanent Committee shall then make its overall assessment of the concerned Advocate on the basis of the following point based format:-

S. No.	**Matter**	**Points**
1.	Number of years of practice of the Applicant Advocate from the date of enrolment. (10 points for 10 years of practice and 1 point each for every additional year of practice, subject to a maximum of 20 points).	20
2.	Judgments which indicate the legal formulations advanced by the concerned Advocate in the course of the proceedings of the case; pro bono work done by the concerned Advocate; Domain Expertise in Specialized Areas of law. It shall also include best five synopses for evaluation.	50
3.	Publication of books/journals, academic articles, experience of teaching assignments in the field of law, guest lectures delivered in law schools and professional institutions connected with law.	5
4.	The test of personality and suitability on the basis of interview for a holistic assessment of the applicant.	25

The Permanent Committee may restrict the number of interviews to the appropriate amount as deemed feasible, keeping in mind the number of Senior Advocates to be designated at a given time and total number of applicants.

The Permanent Committee may also decide the manner of assigning points under category 3 i.e. publications including the possibility of taking external assistance of other Senior Advocates or academics to gauge the quality thereof.

(B) Retired Judicial Officers or those who have voluntarily retired after ten years of service of Delhi Higher Judicial Service may at any time submit a letter of request to the Committee for designation as Senior Advocate. The Secretariat shall place the same before the Full Court with approval of the Permanent Committee. The point assignment criteria shall not be applicable to the retired judicial officers. However, such request shall not be considered in case the applicant(s) has/have accepted or consented to accept any full time assignment or as long as they hold that assignment.

(10) **Full Court**:

(i) After the overall assessment by the Permanent Committee, all the names listed before it will be submitted to the Full Court along with its Assessment Report. The Full Court shall not be required to record reasons for its decision(s).

(ii) Voting by secret ballot shall be an exception. In case it has to be resorted to, the reasons for the same should be recorded. In the event of secret ballot, decisions of the Full Court will be carried by a majority of the Judges who have chosen to exercise their preference / choice, where at least two-thirds of the total strength of the sitting Judges have cast their ballot, irrespective of the Judge casting ballot being present or not in the Full Court meeting.

(iii) The final decision of the full Court shall be communicated individually to all the applicants.

(11) **Designation of Advocates as Senior Advocates by the Chief Justice:-**

(i) On the approval of the name of the Advocate(s) by the Full Court, the Chief

Justice shall designate such an Advocate as a Senior Advocate under Section 16 (2) of the Advocates' Act, 1961.

(ii) The Registrar General shall notify the designation to the Secretary General

of the Supreme Court of India, Bar Council of India, the Bar Council of Delhi, the Registrar General of all High Courts and also to all the Principal District and Sessions Judges subordinate to the High Court.

(iii) A record of the proceedings of the Permanent Committee and the record received from the Full Court in this regard shall be maintained by the Secretariat for reference.

(12) **Review / Reconsideration:**

(i) If a proposal for designation as Senior Advocate is not favourably considered by the Full Court, the Advocate(s) concerned would be ineligible for being recommended for designation as a Senior Advocate for a period of two years from the date of such decision.

(ii) The decision of the full court in respect of the Advocate (s) concerned may thereafter be reviewed /reconsidered by following the procedure prescribed above, as if the proposal is being considered afresh.

(13) **Recall of Designation:**

(i) In the event a Senior Advocate is guilty of conduct which according to the Full Court disentitles the Senior Advocate concerned to continue to be worthy of the designation, the Full Court may review its decision to designate the concerned person and recall the same. The Full Court would give an opportunity of hearing before any such action is taken.

(ii) The procedure for recall shall be the same as provided under Rule 10.

(iii) The Registrar General shall notify the decision of recall in the same manner as provided for in Rule 11.

(14) **Removal of Difficulties**

All questions relating to interpretation and/or application of these rules shall be referred to the Chief Justice whose decision shall be final. The Chief Justice may issue directions for the removal of difficulties either in general terms or in a particular instance as the exigencies may require.

(15) Repeal and Saving:

The Rules framed by the High Court vide Notification No. 295/Rules/DHC dated 13.03.2019 further amended vide Notification No. 679/Rules/DHC dated 20.08.2019 for designating an Advocate as Senior Advocate are hereby repealed. However, this repeal shall not, by itself, invalidate the actions taken under the repealed rules.

By Order of the Court,

KANWALJEET ARORA, Register General

ANNEXURE-A

APPLICATION-CUM-CONSENT LETTER

FOR DESIGNATION AS SENIOR ADVOCATE

[FOR ADVOCATES]

<table>
<tr><td colspan="11">Recent Passport size colour photograph (original) to be pasted here</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name of the Applicant/Advocate: (Dr./Mr./Mrs./Ms.)</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Date of Birth</td><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Age on the date of notification inviting application</td><td colspan="8">_____Years</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td rowspan="2">Address in full:</td><td>(i) Office-</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>(ii) Residence-</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td rowspan="3">Contact Details:</td><td>(i) Landline-</td><td colspan="8" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>(ii) Cellphone-</td></tr>
<tr><td>(iii) Email-</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Educational/Professional Qualifications:</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">(i) Date, Month and Year of Enrolment as an Advocate
(ii) Enrolment Number (Copy of Enrolment Certificate to be attached)
(iii) Number of years of practice from the date of Enrolment upto the date of notification
(iv) Number of completed years of service upto the date of notification.</td><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y

_______Years</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">(i) Bar Council, where registered;</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Particulars of judgments involving question of law in cases in which the applicant has appeared as-</td><td colspan="4">Lead Arguing Counsel (Number of Judgments only)</td><td colspan="4">Assisting Counsel (Number of Judgments only)</td></tr>
</table>

	(i) lead arguing counsel; and (ii) assisting counsel; Note: Maximum ten judgments best to the wisdom of the applicant may be annexed.			
10.	Pro bono/amicus curiae work.			
11.	Five synopses for evaluation (Copies of synopses to be attached)			
12.	Whether the applicant is a first generation lawyer?			
13.	Articles/books/journals published, experience of teaching assignments in the field of law, guest lectures delivered in law schools or professional institutions connected with law.	Academic Articles/ Books/ Journals	Teaching Assign- ment(s)	Guest lectures delivered in law schools or professional institutions connected with law.
14.	Whether the applicant is a member of the Delhi High Court Bar Association?			
15.	Courts where the applicant is practicing: (Court-wise period may be indicated)	Supreme Court/High Court(s)/District Court(s)/ Tribunal(s) etc.	From	To
16.	Tribunal(s)where the applicant has specialized practice (Applicable to those practicing before Tribunals)	Tribunal(s)	Duration	
			From	To
17.	Nature of practice- e.g. Civil, Criminal, Constitutional, Taxation, Labour, Company, Service, etc.			
18.	Field of Law-domain expertise (such as, Constitutional law, Criminal law, Arbitration law, Corporate law, Family law, Human Rights, Public Interest Litigation, law relating to women) in which the applicant has specialization/expertise. in which the applicant has specialization/ expertise.			
19.	Whether the applicant had applied earlier			

	to the Supreme Court / any High Court for designation; if so, current status of application?			
20.	Whether the applicant has applied to Supreme Court / any other High Court; if so, current status of application?			
21.	Whether any FIR has ever been filed against the applicant; if so, current status must be indicated?			
22.	Whether the applicant is a party to any civil, criminal or other litigation? If so, the nature of alleged involvement.			
	(i)	Has the applicant at any point of time been:		
		(a)	arrested?	
		(b)	prosecuted?	
		(c)	kept under detention?	
		(d)	bound down?	
		(e)	fined by a court of law?	
		(f)	convicted by a court of law for any Offence?	
		(g)	debarred from any examination or rusticated by any authority/ institution/council ?	
		(h)	debarred/ disqualified by any public commission/ authority?	
		(i)	Held guilty of contempt of Court?	
	(ii)	Is any case pending against the applicant in any court of law at the time of submitting this application?		
	(iii)	If the answer to any of the above-mentioned questions is 'Yes', give full particulars of the case / arrest / detention / fine / conviction / sentence / punishment etc. and / or the nature of the case pending in the Court / Authority or Institution etc., at the time of submitting this application.		
23.	Whether any proceedings were initiated or are pending against the applicant			

	before Bar Council of India or State Bar Council? If so, particulars thereof.	
24.	General state of health	
25.	Any other relevant information	

DECLARATION

I_________________________Advocate hereby give consent for being designated as Senior Advocate.

I hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material is concealed or suppressed therefrom. I understand that furnishing of false information or suppression of any factual information would render me unfit for being designated as Senior Advocate.

Date:- [Signature of the Applicant]

Note: Applicants should read instructions attached herewith while filling up Annexure-A.

ANNEXURE-A1

PRESCRIBED FORMAT

LEAD ARGUING COUNSEL

(List of Judgments)

S.No.	Court(s)	Citation / Case Number	Cause Title and Subject Matter	Decided on	Legal formulation advanced by the applicant.
	____				

ASSISTING COUNSEL

(List of Judgments)

S.No.	Court(s)	Citation / Case Number	Cause Title and Subject Matter	Decided on	Legal formulation advanced by the applicant.

List of matters where appeared as Pro-Bono/ Amicus Curiae

S.No.	Court(s)	Citation/Case Number	Cause Title	Decided on

Details of five Synopses

S.No.	Court(s)	Case Number	Cause Title	Details

Details of academic articles/books/journals published, experience of teaching assignments in the field of law, guest lectures delivered in law schools or professional institutions connected with law.

S.No.	Topic of published Academic articles / Books / Journals.	Experience details of teaching assignment and guest lectures delivered in law schools or professional institutions connected with law	Names of law schools or professional institutions connected with law	Any other relevant details

GENERAL INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP ANNEXURE-A AND ANNEXURE-A1

1.	Every Application-cum-Consent Letter or the Application for providing additional information in the prescribed formats marked as Annexure-A and Annexure-A1 shall be made in English, typed/printed with font size (Arial-14) in double spacing on both sides of the white paper (A4 Size) with an inner margin of about four centimeters width on top and on the left side.
2.	Documents accompanying the Application should be numbered consecutively in the Index.
3.	All documents annexed to the Application should be accompanied by an Index containing the details thereof. (The Registry, at any stage, may ask for the supportive documents for verification in the light of the facts mentioned in the Application).
4.	Name of the applicant should tally with his/her name as mentioned in his/her enrolment certificate. Abbreviated name shall NOT be accepted.
5	The Application should be presented in the shape of a Paper Book duly tagged & indexed and not in spiral binding and the like.
6.	(i) All photocopies of the accolades/testimonials should be legible and true copies of their respective originals. (ii) English translation of vernacular documents (if any) should be annexed thereto.
7.	Only one set of the Application in the form of Paper Book, should be filed.
	Passport size colour photograph (original) should be pasted on the Application. One additional recent passport size colour photograph (mentioning the name of the applicant on its back side) should be provided in a separate envelope.
9.	The soft copy of the Application/s along with Annexure-A and Annexure-A1, in searchable mode, along

	with the scanned photograph should be submitted through e-mail, as mentioned in the notification, in addition to the hard copy thereof.
10.	Information relating to judgments, pro bono/amicus curiae, five synopses, articles/books/journals/teaching assignments/guest lectures may be provided in the prescribed formats, which are parts of Annexure-A and Annexure-A1.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.16 16:53:53 +05'30'